



राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार



आवश्यक महत्त्वपूर्ण सूचना (विज्ञापन संख्या-01/2021 एवं 01/2022)

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत Medical Officer-APHC एवं पाँच प्रकार के विशेषज्ञ चिकित्सक के संविदागत पदों पर नियोजन हेतु प्रकाशित विज्ञापन संख्या क्रमशः 01/2021 एवं 01/2022 के विस्तृत-निर्देश, जो राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार के वेबसाईट पर अपलोड/प्रकाशित है, कि कंडिका-10(c) एवं 14(c) में उल्लेखित "स्वास्थ्य विभागीय पत्रांक-2/नियुक्ति-01/2010-297(2) दिनांक 04.03.2015 के तहत विदेश से प्राप्त सभी डिग्री धारकों के MBBS प्राप्तांक की गणना 50% पर की जानी है तथा उनका निबंधन MCI/NMC से होना अनिवार्य है।" के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, यथा- "स्वास्थ्य विभागीय अधिसूचना ज्ञापांक-2/एम०-59/2018-993(2) दिनांक 06.08.2021 के तहत विदेशी मान्यता प्राप्त संस्थानों से उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के प्राप्तांक की गणना विदेश चिकित्सा स्नातक परीक्षा स्क्रीनिंग टेस्ट (एफ०एम०जी०ई०) के प्राप्तांक को 0.6 के गुणक से गुणा करके किया जाएगा।" उनका निबंधन MCI/NMC से होना अनिवार्य है।"

यह तुरंत के प्रभाव से प्रवृत्त होगा।

कार्यपालक निदेशक

राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार।